राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 233/2017

1. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. रामसिंह
2. रिपुदमन सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
3. माधवी पुत्री स्व. रामसिंह
4. रिनू पुत्री स्व. रामसिंह
5. मंजू पत्नी स्व. प्रदुमनसिंह पुत्र स्व. रामसिंह
6. भरत उम्र 8 वर्ष } पुत्रान स्व. प्रदुमनसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक
7. भूवराज उम्र 6 वर्ष } माता मंजू

जाति राजपूत निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

ब–ना–म

1. गुरूदयाल पुत्र फूला
2. मातादीन पुत्र पाला
3. ओमप्रकाश पुत्र भूरा जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क),

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री अजीत सिंह तंवर – आवेदकगण की ओर से
2. श्री हेमराज सिंह – अनावेदक सं. 2 की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक 04–05–2022**

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता संख्या 588 खसरा नंबर 2318/70 रकबा 1.94 है. का खाता शामलाती है जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार आवेदकगण हैं। आवेकदगण की भूमि के पश्चिमी ओर उससे सटती हुई भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 2.90 है., ख.नं. 78 रकबा 2.95 है, ख.नं. 80 रक[illegible] 0.8[illegible], आदि भूमि है जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अनावेदक स[illegible] बराबर दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण की भूमि के पश्चिमी ओर अनावेदक सं.[illegible] लगा. 3 की शामलाती [illegible]री की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

भूमि के पश्चात् रास्ता आम कदीम से मौजूद है जो राजस्व रिकार्ड में भी कटा हुआ है। आवेदकगण के खेत से पश्चिमी ओर रास्ते आम तक आवागमन के लिए खसरा नंबर 76, 78, 80 में से आवागमन के लिए आवेदकगण को 12 फुट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है। आवेदकगण को जिस रास्ते की आवश्यकता है वह रास्ता नक्शा ट्रेस नजरी नक्शे में रास्ते आम से पूर्व क ओर खसरा नंबरान 80, 78, 76 में से होता हुआ आवेदकगण के खेत खसरा नंबर 2318/70 में आना दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा आवेदकगण के खेत में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है। आवेदकगण आवेदन पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने को तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 2318/70 के पश्चिमी ओर अनावेदक सं. 1 लगा. 3 की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 80, 78, 76 वाके ग्राम जसरापुर में से नजरी नक्शे में वर्णितानुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता रास्ते आम तक आवागमन के लिए दिलवाया जाकर उक्त 12 फुट चौड़ाई मे रास्ता आम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम किया जाकर उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर खातेदारान को दिलवाये जाने की कृपा करें। आवेदकगण विधिक प्रावधानों की पालना करने को तत्पर है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण की जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 2 ने जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि आवेदकगण के ख.नं. 2318/70 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो पुरानी नक्शा शीट में मौजूद है। अनावेदक सं. 2 ने अपने हिस्से की भूमि ख.नं. 76 में 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय में संपरिवर्तन दिनांक 24.07.1998 को तहसलदार, खेतड़ी से करवा रखी है इसलिये आवेदकगण आवासीय भूमि में धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रास्ता नहीं कटवा सकते हैं। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदक सं. 1, 3 व 4 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के संबंध मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2020/266 दिनांक 11.03.2020 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि :–

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with CamScanner

1. प्रार्थीया सुप्यार कंवर राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित भूमि ख.नं. 2318/70 में अपने पुख्ता मकान बनाकर बसी हुई है। जहां पहुंचने के लिए मुताबिक नजरी नकशा ख.नं. 76, 78, 80 में से धारा 251(क) के तहत रास्ता चाहा गया है।

2. ख.नं. 76, 78, 80 प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र भूरा, मातादीन पुत्र पाला व गुरूदयाल पुत्र फुला जाति जांगिड़ की खातेदारी भूमि है। वर्तमान में ख.नं. 76 में मातादीन पुत्र पाला काबिज है जिसमें प्रार्थीया ने जहां से रास्ता चाहा वही ख.नं. 76 में नजरी नक्शानुसार लगभग 10X10 वर्गमीटर की चार दीवारी बना रखी हे जिसकी वजह से प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं लगता है।

तत्पश्चात् प्रार्थीया/आवेदकगण ने तहसीलदार, खेतड़ी की उक्त रिपोर्ट वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं होने पर पुनः मौका जांचकर रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया है तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2021 की पालना में तहसीलदार, खेतड़ी ने पुनः रिपोर्ट पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/1801 दिनांक 21.09.2021 से प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है :–

1. प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांजिक है। यह केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।

2. प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम है।

3. पत्र में वर्णित 1000 व0मी0 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि का राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नहीं है व न ही खातेदार यह सिद्ध कर पाया कि उक्त भूमि कहा है। इसलिए प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है।

4. नजरी नक्शे के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते A से B की कुल लम्बाई 225 मीटर है जिसमें 21 मीटर अप्रार्थी द्वारा बनाई गई चार दीवारी भी शामिल है। 225 मीटर लम्बाई का रास्ता दिये जाने पर रास्ते में कुल 225X4 = 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल आयेगा जिसकी डी.एल.सी. दर 92235/–रू. है जिसकी दुगुनी राशि 184470/–रू. है।

प्रार्थीया सं. 1 की ओर से दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते में आने वाली की भूमि पुनः डी.एल.सी. गणना हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1964 [illegible] डी.एल.सी. की गणना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार [illegible] क्षेत्रफल 225X4 = 900 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. दर 87156/–[illegible] है जिसकी दुगुनी राशि 174312/–रू. बने हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता सं. 588, खाता सं. 73 ग्राम जसरापुर, नक्शा ट्रेस, प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा पेश किये

अनावेदक सं. 2 की ओर से अपने जवाब आवेदन के समर्थन में फोटो प्रति संपरिवर्तन आदेश अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8(3) के तहत 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय ख.नं. 76 में से करवाई गई का पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता सं. 588 खसरा नंबर 2318/70 रकबा 1.94 है. आवेदकगण सुप्यार कंवर आदि की खातेदारी में दर्ज है। आवेदकगण ने अपनी उक्त भूमि खसरा नंबर 2318/70 में आने जाने के लिए अनावदेकगण सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 76, 78, 80 में से आवागमन के लिए रास्ता चाहा है उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित है। तथा खसरा नंबर 76 रकबा 2.90 है. में से अनावेदक सं. 2 ने 1000 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार, खेतड़ी से संपरिवर्तन आदेश अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8(3) के तहत दिनांक 24.07.1998 को संपरिवर्तन करवा लिया था। आवासीय संपरिवर्तित भूमि में आने जाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

आदेश

अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 04–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
अतिरिक्त सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:16:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner